न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 73/2021 Gcms No. 2021/192
दायरा तिथि : 25.08.2021
निर्णय दिनांक : 06-02-2023

वादीनी :–
श्रीमति अनिला कँवर पुत्री श्री चतरसिंह जाति चारण
निवासी मिरगेश्वर हाल विजयनगर जिला अजमेर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. दिलीपसिंह पुत्र चतरसिंह जाति चारण
   निवासी मिरगेश्वर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. भवानीसिंह पुत्र चतरसिंह जाति चारण
   निवासी मिरगेश्वर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. हरीसिंह पुत्र चतरसिंह जाति चारण
   निवासी मिरगेश्वर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1.श्री कृष्ण सुथार ..... अभिभाषक वादीनी की ओर से
2. श्री जितेश भण्डारी ..... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 01 , 02 अनुपस्थित
4. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार, बाली .....पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 06-02-2023**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीया ने ग्राम मिरगेश्वर पटवार हल्का मिरगेश्वर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 152, 158, 159, 165, 166, 167 कुल खसरा–06 कुल रकबा 3.69 हैक्टर किस्म बंजड, गै.मु. बेरा, गै.मु. सडा, चाही प्रथम, जाव अव्वल कुल लगान 121.62 रूपये के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर 1/4 हिस्सा की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पिता स्व0 श्री चतरसिंहजी के स्वामित्व व कब्जा काश्त व खातेदारी की होना तथा चतरसिंहजी का देहांत दिनांक 09.09.2001 को होना बताया। अपने वाद में चतरसिंहजी की मृत्यु के बाद वादीनी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 बहैसियत उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि पर हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के चतरसिंहजी के देहान्त के बाद पटवारी हल्का से मिलकर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण वादीनी के जानकारी के बाला बाला अपने नाम दर्ज करवा दिया। जबकि वादीनी वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्सा के खातेदारी हक पाने की अधिकारिणी थी, वादीनी को इसकी जानकारी होने पर उक्त घोषणा खातेदारी का वाद बिना किसी देरी के पेश किया। वादपत्र में वर्णित तथ्यो की पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र तथा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 को जारी सम्मन लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार प्रोपर तामील मानते हुये बावजुद सम्मन तामील के न्यायालय में नियत पेशीयो पर वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 28.11.2022 से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–02 को रजिस्टर्ड डाक से भेजे सम्मन का लिफाफा लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ लौटने के बावजुद वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित से प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्व भी न्यायालय आदेशिका दिनांक 13.07.2022 से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 03 के अण्डर टेकिंग होल्डर अधिवक्ता श्री जितेश भंडारी द्वारा वादीनी को उसके अनुतोष अनुसार खातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रकट की गई। प्रतिवादी संख्या–04 तहसीलदार, बाली के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहने से इनका जवाबदावा का अवसर बन्द करते हुये वकुलाय की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 73/2021 Gcms No. 2021/192
अनवान अनिलाकँवर बनाम दिलीपसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि स्व. चतरसिंह जी से प्राप्त होने तथा चतरसिंह के वारिशान के तौर पर तीन पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एवं पुत्री वादीया होने से चारो ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो अनुसार बहिस्सा बराबर के हकूक पाने के अधिकारी बनते है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी में दर्ज इन्द्राजो के अनुसार ग्राम मिरगेश्वर पटवार हल्का मिरगेश्वर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 152, 158, 159, 165, 166, 167 कुल खसरा–06 कुल रकबा 3.69 हैक्टर किस्म बंजड, गै.मु. बेरा, गै.मु. सडा, चाही प्रथम, जाव अव्वल कुल लगान 121.62 रूपये में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का नाम ही दर्ज है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 03 भी वादीया के घोषणा खातेदारी के अनुतोष को स्वीकार करने बाबत् अपनी सहमति प्रकट करते है। जिससे पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद वादीया स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम मिरगेश्वर पटवार हल्का मिरगेश्वर के खसरा नंबर 152, 158, 159, 165, 166, 167 कुल खसरा–06 कुल रकबा 3.69 हैक्टर किस्म बंजड, गै.मु. बेरा, गै.मु. सडा, चाही प्रथम, जाव अव्वल कुल लगान 121.62 रूपये का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वादीया को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीया के नाम घोषित किये जा रहे हिस्से में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मिरगेश्वर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली,जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06-02-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner